

प्रेस नोट दिनांक- 11.05.2025

थाना चकिया जनपद चन्दौली

- जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार की जा रही है कार्यवाही।
- थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा 15000/-रूपये के इनामिया वांछित शातिर गोतस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
- गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद
- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत है एक दर्जन अभियोग

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में श्री आदित्य लांगे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया नामेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 10.05.2025 को समय करीब 18.00 बजे 15000/- रूपये के इनामिया शातिर गोतस्कर अभियुक्त को मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त शाहिद अफरीदी पुत्र अलीम अंसारी निवासी ग्राम चितौड़ी थाना बबुरी जनपद चन्दौली को पटेल तिराहे से 200 दूरी पर स्थित सिकन्दरपुर पोखरे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चकिया पर मु0अ0सं0 74/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. शाहिद अफरीदी पुत्र अलीम अंसारी निवासी ग्राम चितौड़ी थाना बबुरी जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 074/2025 धारा 3/25 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 207/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रू0नि0अधि0 व 318(4)/319(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. मु0अ0सं0 214/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रू0नि0अधि0 व 281/324(4)/325 बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली
4. मु0अ0सं0 219/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रू0नि0अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली
5. मु0अ0सं0 016/2022 धारा 186/279/307/353 भादवि थाना बबुरी जनपद चन्दौली
6. मु0अ0सं0 098/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 429 भादवि थाना बबुरी जनपद चन्दौली
7. मु0अ0सं0 016/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली
8. मु0अ0सं0 058/2023 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली

9.मु0अ0सं0 010/2018 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रू0नि0अधि0 थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

10.मु0अ0सं0 0025/18 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

11.मु0अ0सं0 102/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रू0नि0अधि0 व 207 मोटरयान अधि0 थाना कोईरौना जनपद भदोही.

12.मु0अ0सं0 241/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर

बरामदगी का विवरण-

1. एक नाजायज तमंचा 315 बोरे व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोरे

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 अवधेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
3. हे0का0 दीपचन्द्र गिरी थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
4. हे0का0 जलभरत यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
5. हे0का0 सुहेल अहमद थाना चकिया जनपद चन्दौली।
6. का0 रविन्द्र कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली ।